रेस्टो० 1450-II-15

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक :

1. रामानन्द मृत द्वारा वारिसान
(ए) श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी स्व. रामानन्द
(बी) राजेश कुमार आयु 23 वर्ष
(सी) निपेन्द्र कुमार आयु 19 वर्ष
(डी) कु. निधि आयु 17 वर्ष नाबालिग द्वारा सरपरस्त मॉ
(ई) अनीता आयु 31 वर्ष
(एफ) कमला देवी
(जी) निर्मला देवी आयु 25 वर्ष समस्त पुत्र एवं पुत्रीगण स्व. श्री रामानन्द
2. शिवानंद आयु 70 वर्ष
3. शोभालाल आयु 58 वर्ष
4. नुजेश्वर आयु 54 वर्ष
पुत्रगण स्व. श्री जगदीश प्रसाद समस्त निवासीगण –ग्राम टिकुरदासी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र

श्री टी.सी. नरवरिया द्वारा आज दि. 9-6-2015 को प्रस्तुत
क्लर्क आफ कोर्ट 9-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

................आवेदकगण

विरूद्ध

सुरेशकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद आयु 47 वर्ष व्यवसाय कृषि, निवासी–ग्राम टिकुरदासी तहसील मऊगंज पोस्ट–कसियारगांव जिला रीवा (म.प्र.)

................अनावेदक

रेस्टोरेशन आवेदन अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण क्र. 279/III/2008 रामानन्द बनाम सुरेश के नाम से दिनांक 29.04.2015 को रिकॉर्ड वास्ते नियत था।

2 यह कि, उक्त दिनांक को अभिभाषक संघ, ग्वालियर द्वारा सामूहिक रूप से न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया था, जिस कारण प्रार्थीगण के अभिभाषक उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और माननीय पीठासीन अधिकारी महोदया द्वारा विचाराधीन

रेस्टो. 1450-II/15

13–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरान्त रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण कमांक आर.279–तीन/08 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य